



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-14102026-277127
CG-UP-E-14102026-277127

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5361]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 10, 2026/आश्विन 18, 1948

No. 5361]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 10, 2026/ASVINA 18, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (गति शक्ति यूनिट)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 5 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5573(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर देहात जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् “उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के कानपुर-टुंडला सेक्सन में किमी. 1040/9-11ए पर एल.सी. संख्या 86-बी के स्थान पर 02 लेन आर.ओ.बी. का निर्माण” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधिव्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्योरे उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के जिला कानपुर देहात में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, "उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के कानपुर-टुंडला सेक्सन में किमी. 1040/9-11ए पर एल.सी. संख्या 86-बी के स्थान पर 02 लेन आर.ओ.बी. का निर्माण" करने के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का अवसंरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्र. सं.	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	अर्जन हेतु रकबा (हे. में)	अर्जन हेतु रकबा (वर्ग मी.)
1	मैथा	सिंहपुर दिवनी	381	0.0065	65.00
2			322ब	0.0432	432.00
3			323ब	0.1127	1127.00
4			322अ	0.0024	24.00
5			324	0.0093	93.00
6			343ब	0.1178	1178.00
7			346	0.1757	1757.00
8			347	0.0608	608.00
9			348	0.0563	563.00
10			363	0.0142	142.00
11			355	0.2854	2854.00
12			357	0.0055	55.00
13			180	0.2455	2455.00
14			185क	0.2246	2246.00
			185ख		
			185ग		
			योग	1.3599	13599.00
1	मैथा	रंजीतपुर	599क	0.1445	1445.00
			599मि		
			599ख		
2			603	0.1083	1083.00
3			601ख	0.0957	957.00

			601क		
4			600	0.0027	27.00
5			546	0.0051	51.00
			योग	0.3563 हे.	3563.00 वर्ग मी.

[फा. सं. NCR-PRYJ0ENGG(LAND)/9/2023-O/o CPM/GSU/PRYJ(Computer No. 92860)]

एनामुल हक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railways (Gati Shakti Unit)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 5th October, 2026

S.O. 5573(E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, **“Construction of 02 lane ROB in lieu of LC No. 86-B at Km. 1040/09-11A in CNB-TDL Section of Prayagraj Division of North Central Railway”**, in the district of Kanpur Dehat in the state of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the **Competent Authority**, namely, **Additional District Magistrate (Land Acquisition), Kanpur Nagar, Uttar Pradesh** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely “Construction of 02 lane ROB in lieu of LC No. 86-B at Km. 1040/09-11A in CNB-TDL Section of Prayagraj Division of North Central Railway” in the district of Kanpur Dehat in the state of Uttar Pradesh.

Sl. No.	Tehsil	Village	Plot No.	Acquired area (in Hect).	Acquired area (in Sqm.)
1	Maitha	Singhpur Diwani	381	0.0065	65
2			322ब	0.0432	432
3			323ब	0.1127	1127
4			322अ	0.0024	24
5			324	0.0093	93

6			343ब	0.1178	1178
7			346	0.1757	1757
8			347	0.0608	608
9			348	0.0563	563
10			363	0.0142	142
11			355	0.2854	2854
12			357	0.0055	55
13			180	0.2455	2455
14			185क	0.2246	2246
			185ख		
	185ग				
			Total	1.3599	13599
1	Maitha	Ranjeetpur	599क	0.1445	1445.00
			599मि		
			599ख		
2			603	0.1083	1083.00
3			601ख	0.0957	957.00
			601क		
4			600	0.0027	27.00
5			546	0.0051	51.00
			Total	0.3563 Hect.	3563.00 Sqm.

[F. No. NCR-PRYJ0ENGG(LAND)/9/2023-O/o CPM/GSU/PRYJ(Computer No. 92860)]

ANAMUL HAQUE, Chief Administrative Officer